

गुरुग्राम में राजनीतिकि वजित्रापनों के लयि समतिकी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम ज़िले में केबल टीवी, समाचार पत्रों और सनिमा हॉलों में राजनीतिकि वजित्रापन अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समतियि (Media Certification and Monitoring Committee- MCMC) की पूर्व अनुमति के बनि प्रसारति नहीं कयि जा सकेंगे।

मुख्य बद्दि:

चुनाव अवधि के दौरान केबल ऑपरेटरों और सनिमा हॉल मालियों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समतियि (MCMC) प्रमाण-पत्र के बनि कोई भी वजित्रापन प्रसारति करने पर प्रतिबंध है।

यह घोषणा भारत निवाचन आयोग के निर्देशों के तहत की गई।

राज्य के स्वामतिव वाले मीडिया का उपयोग करने वाले राजनीतिकि दलों के लयि नियम

- राज्य मीडिया पर समय का आवंटन:
 - वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद से मान्यता प्राप्त राजनीतिकि दलों को चुनावों के दौरान सरकारी टेलीविजन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
 - चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले भारत निवाचन आयोग प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के लयि समय आवंटन तय करता है।
 - राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदरशन के राष्ट्रीय चैनल पर कम-से-कम 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनलों पर 15 घंटे मलिते हैं। उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर भी 10 घंटे तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर 15 घंटे मलिते हैं।
 - राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दूरदरशन चैनलों और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों पर न्यूनतम 30 घंटे का प्रसारण मलिता है।
- भाषण सामग्री पर दशा-निर्देश:
 - दलों और वक्ताओं को संबंधित ऑल इंडिया रेडियो (AIR) एवं दूरदरशन (DD) प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लयि भाषण की प्रतिलिपि 3-4 दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी।
 - ECI दशा-निर्देश नियध करते हैं:
 - अन्य देशों की आलोचना;
 - धरमों या समुदायों पर हमला;
 - अशलील या अपमानजनक सामग्री;
 - हस्ति भड़काना;
 - न्यायालय की अवमानना;
 - राष्ट्रपति और न्यायपालिका के विद्वध आक्षेप;
 - राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावति करने वाली कोई भी बात;
 - नाम लेकर कर्सी व्यक्तिकी आलोचना।

